Page No. : 1
Date :

I वित्तीय प्रशासन
[FINANCIAL ADMINISTRATION]

लोक प्रशासन मे वित्तीय प्रशासन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्रशासन और वित्त में उतना ही सम्बध होता है जितना की शरीर और रक्त मे। वस्तुतः वित्त ही प्रशासन का जीवन रक्त (Life Blood) है। सभी प्रशासकीय कार्यो मे धन व्यय होता है क्योकि प्रशासकीय कृत्यों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति आवश्यक होती है। प्रशासकीय इंजन का ईंधन वित्त है। अतः कौटिल्य ने ठीक ही कहा है: "सभी उद्यम वित्त पर निर्भर है, अतः कोषागार (Treasury) पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए"।

- डॉ० सी.पी. भाम्भरी ने वित्त का प्रशासन मे वही मूल्य बताया है जो वातावरण मे ऑक्सीजन का होता है।
- प्रो: एल.डी. व्हाइट के शब्दो में, "प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नही किया जा सकता है। प्रत्येक प्रशासकीय कार्य का आर्थिक पहलू होता है जो उससे वैसे ही अविभेद्य होता है जैसे मनुष्य और उसकी छाया।"

⇒ वित्तीय प्रशासन मे मुख्यतः निम्नलिखित बाते सम्मिलित होती है-

(1) आय-व्यय का अनुमान लगाना अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट तैयार करना।
(2) इस अनुमानित बजट को व्यवस्थापिका से स्वीकृत कराना।
(3) आय-व्यय सम्बधी सिद्धान्त को कार्यान्वित करना. जिसे बजट का निष्पादन (Execution Budget) कहते है।
(4) कोष प्रबन्ध अर्थात् जमा की सुरक्षा और व्यय के लिए धन निकालने की व्यवस्था।

SHYAM

Signature .....

Scanned with CamScanner

(5) बजट सम्बन्धी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कानूनी उत्तरदायित्व लेना तथा परीक्षण करना ताकि विधायिका को जवाब दिया जा सके।

वित्तीय प्रशासन के अभिकरण : (1) कार्यपालिका (Executive) तथा विधानमण्डल (Legislature),
(2) वित्त मन्त्रालय (Ministry of Finance), या ब्रिटेन में कोशागार
(3) लेखा-परीक्षण विभाग (Audit Department) तथा
(4) संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees).

II बजट (BUDGET)

यदि शब्द विन्यास किया जाये तो बजट 'Budget' शब्द की उत्पति फ्रॉसीसी अंग्रेजी शब्द 'बूजट' (Bougette) से हुई है जिसका अर्थ है 'चमड़े का थैला या झोला'।
यह शब्द सर्वप्रथम सन् 1733 ई० में इंग्लैण्ड की संसद में व्यंग्यस्वरूप बोला गया था जो आज विश्व भर में प्रचलित हो गया है। बजट प्रणाली कुशल राजस्व (fiscal) प्रबन्ध का आधार है। सामान्य अर्थों में बजट वार्षिक आय-व्यय का विवरण होता है।
बजट की परिभाषा विभिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न ढंग से दी है। एक तरफ कुछ विद्वान इसे आय-व्यय की विवरणी के रूप में देखते हैं तो दूसरी तरफ कुछ अन्य विद्वान इसे राजस्व तथा विनियोजन अधिनियम का पर्यायवाची मानते हैं।

समाज विज्ञान शब्दकोष के अनुसार - "बजट प्रणाली का वास्तविक महत्व इस कारण से है कि यह किसी सरकार के वित्तीय मामलों के क्रमबद्ध प्रशासन की व्यवस्था करता है।"

SHYAM

Signature .....

Scanned with CamScanner

- रेन स्टोर्म के अनुसार - "बजट एक प्रलेख है जिसमे आय-व्यय की एक प्रारम्भिक अनुमोदित योजना दी गई होती है।"

- मुनरो ने कहा कि — "बजट आने वाले वित्तिय वर्ष के लिए आय-व्यय का प्रबन्ध करने की एक योजना है। इसमे एक ओर समस्त आय का अनुमान तथा दूसरी ओर समस्त व्यय का अनुमान दिया जाता है।"

⇒ बजट के प्रकार (KINDS OF BUDGET) समान्यतः बजट के 3 प्रकारो का उल्लेख किया गया है-

1- व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट (Legislative type Budget) - बजट का निर्माण जब व्यवस्थापिका के द्वारा होता है तो उसे व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट कहा जाता है। इस प्रणाली के तहत व्यवस्थापिका बजट निर्माण हेतु समिति तैयार करती है, इसके अन्तगर्त व्यवस्थापिका बजट तैयार करती है और उसपर अपनी स्वीकृति देती है इसलिए उसका महत्व कार्यपालिका की तुलना मे अत्याधिक बढ जाता है।

2- कार्यपालिका प्रणाली का बजट (Executive Type Budget) इस प्रणाली के अन्तगर्त कार्यपालिका ही बजट का निर्माण करती है और उस पर व्यवस्थापिका की स्वीकृति प्राप्त करके क्रियान्वित करती है।

3. मण्डल या आयोग प्रणाली का बजट (Board or Commission Type Budget) जब बजट का निर्माण किसी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा किया जाए तो उसे आयोग प्रणाली का बजट कहते है। इस आयोग मे या तो केवल प्रशासकीय अधिकारी होते है या इसमे विधायी और प्रशासकिय

दोनो प्रकार के अधिकारी होते है।

III भारत में बजट सम्बधी प्रक्रिया (BUDGETARY PROCESS IN INDIA)

'बजट' शब्द का भारतीय संविधान मे कही भी उल्लेखत नही है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 मे कहा गया है कि — "राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तिय वर्ष के सम्बध मे संसद के दोनो सदनो के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) रखवायेगा। यही वार्षिक वित्तीय विवरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 'भारत सरकार के अनुमानित आय तथा व्ययों का विवरण' होता है और बजट कहलाता है।

बजट की तैयारी (PREPARATION OF BUDGET) यह उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण देश के लिए एक ही बजट नही होता है। संविधान संघीय है अतः राज्यो के अपने पृथक-पृथक बजट होते है। संघीय स्तर पर दो बजट होते है- 1- सामान्य बजट, 2- रेलवे बजट। रेलवे बजट को 1921 मे सामान्य बजट से पृथक कर दिया गया है।

संघीय सरकार के वित्तीय नियमो के अन्तर्गत वित्त मन्त्रालय को वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये है इस व्यवस्था के सम्बध मे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3) मे उल्लेखत है।

भारत के प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए (वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को आरम्भ और 31 मार्च को समाप्त होता है) बजट अनुमान की तैयारी मे शासन के 4 अंग — (1) वित्त मन्त्रालय, (2) प्रशासन मन्त्रालय, (3) योजना आयोग और (4) लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्य करते है।

बजट की रचना का उत्तरदायित्व वित्त मन्त्रालय का होता है, किन्तु प्रशासकीय आवश्यकताओ का व्यापक ज्ञान सम्बन्धित प्रशासकिय

SHYAM Signature .....

Scanned with CamScanner

* प्राक्कलन प्रपत्र की प्रतिलिपि (speciman copy of the Estimate form) -
जिसे हम यहाँ दे रहे हैं, इस प्रकार है। –

वर्ष 20....-20.... के लिए बजट अनुमान
Budget Estimates (For the year 20..-20...)

विनियोगों के शीर्ष तथा उप-शीर्ष (Minor Heads & Sub-Heads of appropriation)	गत वर्ष के यथार्थ अंक (Actuals for the last year)	चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट अनुमान (Budget Estimates as sanctioned for the current Year)	चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान (Revised Estimates for the current Year)		आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान (Budget Estimates for the Next Year)		घटत-बढ़त का विवरण (Explanation for Increase or Decrease)
			भुकतान अधिकारी (Disbursing officer)	विभागाध्यक्ष (Head of Deptt..)	भुकतान अधिकारी (Disbursing officer)	विभागाध्यक्ष (Head of Deptt..)	

Scanned with CamScanner

मन्त्रालयों को ही होता है। बजट योजना की प्राथमिकता को स्पष्ट करने के लिए वित्त मन्त्रालय को योजना आयोग से निरन्तर निकट सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है। इसलिए 'लेखा-नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक' का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है वही अनुमान को तैयार करने में आवश्यक लेखा सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराता है।

बजट अनुमान की तैयारी सम्बन्धी कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से 6 या 9 माह पूर्व ही आरम्भ हो जाता है। इसका प्रारम्भ वित्त मन्त्रालय द्वारा होता है, जो विभिन्न प्रशासकीय मन्त्रालय तथा विभागों को व्यय के अनुमान तैयार करने के लिए एक पत्र भेजता है। इन प्रपत्रों के ढाँचे (Skelton forms) वित्त मन्त्रालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक प्रपत्र में निम्नलिखित स्तम्भ (खाने) होते हैं। धन व्यय करने वाले अधिकारी अपने तैयार किये हुए अनुमानों को विभाग के प्रधान के पास दो भागों में भेजते हैं, विभाग का प्रधान जो आवश्यकतानुसार उनकी समीक्षा तथा संशोधन करता है तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुमानों को सम्बन्धित प्रशासकीय मन्त्रालयों को भेज दिया जाता है जहाँ दूसरी बार उस (मन्त्रालय) की समान्य नीति के सन्दर्भ में निरीक्षण किया जाता है।

वित्त मन्त्रालय का 'बजट सम्भाग' प्रशासकीय मन्त्रालयों द्वारा प्रस्तुत इन अनुमानों की सूक्ष्मतापूर्ण समीक्षा करता है। यह व्ययों की नीति की समीक्षा नहीं करता है। वास्तव में वित्त मन्त्रालय की आलोचना तथा प्रति-परीक्षण (Cross Examination) करने में एक विशिष्ट दक्षता प्राप्त है जो लम्बे अनुभव का परिणाम है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित है कि यह परिनिरीक्षण (Scrutiny) केवल नये व्ययों के लिए किये गये प्रस्तावों पर ही काम में लायी जाती है। स्थिती यह है कि वित्त मन्त्रालय प्रशासकीय मन्त्रालयों की माँग को पारित करता है, व्ययों के औचित्य की समीक्षा करता है और प्रत्येक मन्त्रालय के पास एक राशि निश्चित करता है। वित्त मन्त्रालय द्वारा उन सभी प्रस्तावों का बड़े ध्यान से निरीक्षण किया जाता है, जो सरकार पर कोई नया या बढ़ा हुआ भार (व्यय) डालते हैं।

SHYAM

Signature .....

Scanned with CamScanner

संसद की स्वीकृति : बजट का अधिनियमन

(APPROVAL OF PARLIAMENT : ENACTMENT OF THE BUDGET)

यह संसदीय परम्परा का मूल सिद्धान्त है कि संसद के पूर्वानुमोदन के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई व्यय किया जा सकता है। संसद में इसकी पाँच अवस्थाएँ होती हैं :

1- बजट का विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण
2- बजट पर सामान्य चर्चा
3- अनुदान की माँगों पर मतदान
4- विनियोजन विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करने
5- कर सम्बन्धी प्रस्तावों अर्थात् वित्त विधेयक पर विचार तथा उसे पारित।

वित्त मन्त्री संसद में बजट प्रस्तुत करने के साथ ही निम्नलिखित 5 प्रलेख भी प्रस्तुत करता है :

1- बजट प्रलेखों की कुंजी 2- बजट सक्षेप 3- प्राप्ति बजट 4- व्यय बजट (खण्ड II) 5- वित्त विधेयक की प्रक्रिया समझाने वाला ज्ञापन

बजट सत्र दो चरणों का होता है जो दो खण्डों में विभक्त होता है : प्रथम खण्ड रेलवे बजट एवं सामान्य बजट की प्रस्तुति से प्रारम्भ होता है। सामान्य बजट 26 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट सत्र का प्रथम भाग का अन्तिम दिन 21 मार्च होता है, तत्पश्चात् दोनों सदन एक माह के लिए स्थगित हो जाता है ताकि विभाग से सम्बन्धित समितियाँ मन्त्रियों के अनुदान माँगों पर विचार विमर्श कर सकें।

लोकसभा द्वारा अनुदान माँगें स्वीकृत हो जाने के बाद उन माँगों की पूर्ति हेतु आवश्यक धन राशि के विनियोजन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill) कहलाता है। यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अनुदान के लिए तब तक माँग नहीं की जा सकती जब तक की

Scanned with CamScanner

राष्ट्रपति उसकी सिफारिश न करे (अनुच्छेद 113(3))।
लोकसभा की किसी माँग को स्वीकार या अस्वीकार करने की अथवा माँग को स्वीकार करते हुए उसमे बतायी धनराशि को कम करने का अधिकार प्राप्त है (अनुच्छेद 113(1))।

संसद वित्तीय व्ययों पर नियन्त्रण निम्न प्रकार से करती है:

1- बजटीय नियन्त्रण
2- लोक लेखा समिति (सार्वजनिक समिति) के माध्यम से
3- अनुमान समिति के द्वारा
4- लोक उद्यमो की समिति के द्वारा तथा
5- विभाग सम्बधी स्थायी समिति के द्वारा।

***

Scanned with CamScanner